न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2788–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 26–06–12 पारित अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 244/अ–6–अ/09–10 निगरानी.

1– भागीरथ तनय स्व. कुन्नीलाल खरे
2– रामसेवक तनय स्व. कुन्नीलाल खरे
समस्त निवासी ग्राम पठादा, तह0 व
जिला छतरपुर,म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– परमलाल तनय श्री अनंदी गडरिया
नि0 ग्राम पठादा, तह0 व
जिला छतरपुर,म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक– अनावेदक क0–1
श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0–2

आदेश

(आज दिनांक 25-8- ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के निगरानी प्रकरण कमांक 244/अ–6–अ/09–10 में पारित आदेश दिनांक 26–06–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण ने संहिता की धारा 115, 116 तथा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदनपत्र सहायक बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया कि खसरा नं0 1043, 1044 कुल किता 2 रकबा 1.296 हे. उनकी पेत्रिक सम्पत्ति है। किश्तबन्दी खतौनी में अभी भी निरन्तर आवेदकगण का नाम दर्ज है, किन्तु राजस्व अभिलेख खसरे में परमलाल तनय अंनदी गड़रिया निवासी ग्राम पठादा का नाम दर्ज कर दिया है। अतः उन्होंने राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने का अनुरोध किया। सहायक बन्दोवस्त अधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 19–06–2000 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 1043, 1044 पर बी–1 में दर्ज इन्द्राज अनुसार खसरे में आवेदकगण का नाम दर्ज कर अभिलेख सुधार के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक व्दारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 26–06–12 व्दारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया है और प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देकर गुण–दोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित करें। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी 10 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी थी। अपर कलेक्टर को सर्वप्रथम अवधि विधान के आवेदन का निराकरण करना चाहिये था। अपर कलेक्टर के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गयी। अपर कलेक्टर ने संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत ना तो प्रतिलिपि प्रस्तुत करने से छूट प्रदान

की और ना ही समयावधि में प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के आदेश दिये। विचारण न्यायालय व्दारा विधिवत सूचनापत्र अनावेदक पर तामील किया, किन्तु सूचना उपरान्त भी वह उपस्थित नहीं हुआ इसलिये उसके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी थी जो विधि अनुसार थी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक व्दारा आवेदकगण से प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विकयपत्र व्दारा खरीदी गयी है और इस विकयपत्र के आधार पर विधिवत नामान्तरण कराया गया है। अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी की हैसियत से कब्जा है। अनावेदक को पक्षकार बनाये बिना फर्जी तामीली के आधार पर विचारण न्यायालय व्दारा एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अनावेदक व्दारा विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर जानकारी के दिनांक से निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर कलेक्टर व्दारा समस्त तथ्यों पर विचार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया। अनावेदक क0–2 शासन के पैनल अभिभाषक व्दारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक व्दारा संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें आदेश की जानकारी दिनांक 21–4–10 को होने पर जिला अभिलेखागार में नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर रिकार्ड कीपर व्दारा प्रमाणपत्र दिया गया है कि प्रकरण अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाया जाता। अनावेदक व्दारा प्रधान प्रतिलिपिकार व्दारा दिया गया ज्ञाप भी संलग्न किया गया है। अपर कलेक्टर के समक्ष पंजीयत विकयपत्र 22–12–89 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गयी है जिससे स्पष्ट है कि विकेता रामसेवक

तथा भागीरथ पुत्रगण कुन्नीलाल कायस्थ व्दारा केता परमलाल गड़रिया तनय अंनदी गड़रिया को प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 1043 एवं 1044 कुल रकबा 1.296 हे. रू. दस हजार में विकय की गयी थी। अनावेदक व्दारा नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति भी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। नामान्तरण पंजी में आदेश दिनांक 25–7–90 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर विकयपत्र के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया है। विचारण सहायक बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष आवेदकगण व्दारा संहिता के धारा 115,116 व 32 के आवेदनपत्र में अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया और मध्यप्रदेश शासन को अनावेदक बनाकर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि अनावेदक आवश्यक पक्षकार था और उसे बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित करना विधिसंगत नहीं है। ऐसी दशा में अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी जानकारी के दिनांक से समयावधि में मानकर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 26–06–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0